न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 162/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00186

1. जोगेन्द्र कौर पुत्र स्व. रामसिंह पत्नी श्री गुरचरण सिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 18 एफ महोली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

1/1. गुरचरण सिंह पति जोगेन्द्र कौर
1/2. गुरदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र कौर
1/3. बलविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र कौर
1/4. सलविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र कौर
1/5. सुखविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र कौर
1/6. गुरजीत सिंह पुत्री जोगेन्द्र कौर
1/7. हरजीत कौर पुंत्री जोगेन्द्र कौर

} जाति मजबी निवासी 18 एफ बड़ा तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. गुलजार सिंह
2. सीता सिंह

} पिसरान रामसिंह जाति मजबी सिंह निवासी 3 जे.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

3. श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी जैला सिंह जाति मजबी सिख निवासी 3 जे.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

4. परमजीत कौर
5. राबिन्द्र कौर
6. सोनू

} पुत्रियां जैला सिंह जाति मजबी सिख निवासी 3 जे.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

7. मंगा सिंह पुत्र जैला सिंह निवासी 3 जे.एम. तहसील घड़साना श्रीगंगानगर।
8. सुखविन्द्र कौर पुत्री जैला सिंह निवासी 3 जे.एम. तहसील घड़साना नाबालिक जरिये कुदरती वली माता गुरमीत कौर पत्नी जैला सिंह जाति मजबी सिख निवासी 3 जे.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
9. श्रीमती छिन्द कौर पुत्री रामसिंह पत्नी जसवन्त सिंह जाति मजबी सिख निवासी छोटा मलकाना तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार राज।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री राजेन्द्र सिंह शिमला	अभिभाषक अपीलांट
	श्री जगदीश शर्मा	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 8
अनुपस्थितः	श्री संजय बिश्नोई	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 9

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 14.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 व 9 के पिता रामसिंह पुत्र बुढ़ सिंह जाति मजबी सिख को चक 20 के.एन.डी. तहसील घड़साना के मुरब्बा नंबर 171/26 के किला नं. 1 ता 19 की 4.732 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि आवंटीत हुई थी। आवंटी रामसिंह की दिनांक 17.10.1996 को मृत्यु हो चुकी थी। आवंटी रामसिंह ने एक वसीयत दिनांक 02.07.1992 को अपीलांट के हक में कर दी। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट ने तहसीलदार घड़साना के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे तहसीलदार घड़साना ने आदेश दिनांक 25.09.2010 द्वारा स्वीकार कर लिया। तहसीलदार घड़साना के उक्त आदेश दिनांक 25.09.2010 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 पारित कर वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल को निरस्त करते हुए विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि वाके चक 20 के.एन.डी. तहसील घड़साना के मुरब्बा नंबर 171/26 के किला नं. 1 ता 19 की 4.732 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि है, जो अपीलांट के पिता स्व. रामसिंह को आवंटित हुई थी। उक्त वादगत भूमि की स्व. रामदास ने अपीलांट के हक में वसीयत कर दी, जिसके आधार पर अपीलांट ने तहसीलदार घड़साना के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2010 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश दिनांक 25.09.2010 की पालना में इंतकाल सं. 112 दिनांक 07.02.2011 दर्ज हो गया। तहसीलदार घड़साना के उक्त आदेश दिनांक 25.09.2010 के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को आदेश दिनांक 25.09.2010 के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार ही नहीं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की हैं। वसीयतकर्ता द्वारा समस्त किस्त का भुगतान अपने जीते–जी कर दिया था कोई आवंटन की राशि बकाया नहीं थीं। किस्तें जमा करवाते ही रामसिंह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था, वह डीम्ड खातेदार था। खातेदारी देने में जो देरी हुई वह आवंटन अधिकारी व तहसील कार्यालय की लापरवाही का परिणाम था। वादगत भूमि पर उपनिवेशन के कानून लागू है और जहां पर उपनिवेशन कानून में कोई स्पष्ट व्यवस्था न हो वहां काश्तकारी कानून व भू–राजस्व अधिनियम लागू करने की व्यवस्था हैं। पूर्व में उपनिवेशन कानून में वसीयत करने पर रोक थी, जिसे कानून में संशोधन कर हटा दिया गया है। अतः वसीयत विधिसम्मत है। रेस्पोडेन्ट्स का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा हैं। रेस्पोडेन्ट्स को दिनांक 02.05.2011 को अचानक जमाबंदी की नकल की आवश्यकता क्यों व किस प्रयोजन के लिये हुई, का खुलासा अपने प्रार्थना पत्र बाबत मियाद कन्डोन में नहीं किया है। मियाद कन्डोन के प्रार्थना पत्र में दिन प्रतिदिन का स्पष्ट रूप से खुलासा करना अनिवार्य है। प्रार्थी स्वच्छ विचारों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यांयालय में नहीं आया बल्कि तथ्यों को छिपाकर आया है। यदि प्रार्थी पूर्ण व स्पष्ट खुलासा नहीं करता तो वह मियाद में छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आदेश जैर अपील में प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने के स्थान पर सीधे ही समस्त पक्षकारों के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्ध प्रदान किये जाने के कारण निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 निरस्त फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 8 ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि बाबत की गई वसीयत नोटेरी द्वारा तस्दीक है। वादगत वसीयत दिनांक 02.07.1992 की बताई गई है, उस समय वादगत कृषि भूमि गैरखातेदारी थी, जबकि आवंटी रामसिंह की मृत्यु दिनांक 17.10.1996 को हुई। उक्त कृषि भूमि की खातेदारी दिनांक 26.08.2008 को जारी हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गैरखातेदारी कृषि भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती। अपीलाधीन भूमि की किस्तें भरने के लिए रूपये देने की आड़ में अपीलांट ने तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत बाद में तैयार करके आवंटी रामसिंह की मृत्यु के काफी सालों बाद इंतकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही की। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 इन्ही सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित है, जो उचित एवं सही है। अतः अपील अपीलांट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 पारित करते हुए तहसील घड़साना के आदेश दिनांक 25.09.2010 को निरस्त कर दिया तथा उक्त आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल सं. 112 को अपास्त करते हुए विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त वादगत भूमि वसीयत करते समय वसीयतकर्ता के नामं गैर खातेदार दर्ज थी, जो बाद में वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरांत खातेदारी दर्ज हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि वसीयत के निष्पादन के समय आवंटी रामसिंह गैरखातेदार था। अपीलाधीन भूमि वसीयतकर्ता की गैरखातेदार भूमि होने के कारण उसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होने के कारण उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर